



Neutral Citation No. - 2026:AHC:22647

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 3682/2026

पार्वती पांडेय

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता: शैलेंद्र कुमार सिंह

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रत्यर्थी को नोटिस भेजने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रत्यर्थी आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो उनके आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने के अधिकार को सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. याची ने प्रत्यर्थी संख्या 2, अर्थात नायब तहसीलदार-III, जनपद भदोही को निर्देश देने की प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है कि वे वाद संख्या 571/2024 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी202416670400571) (पार्वती पांडेय बनाम शैलेंद्र कुमार पांडेय), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के अंतर्गत, एक विशिष्ट अवधि के भीतर शीघ्रता से निस्तारित करें।
4. याची के विद्वान अधिवक्ता यह तर्क देंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत दायर आवेदन काफी समय से लंबित है। इस स्तर पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) को नोट करना उचित और उपयुक्त होगा, जो यह आदेश देता है कि ऐसा आवेदन दायर होने पर, संबंधित प्राधिकारी को कानून के अनुसार कड़ाई से समयबद्ध अवधि के भीतर उसका निस्तारण करना आवश्यक होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 का नियम 34 का उप-नियम (7): "(7). तहसीलदार नामान्तरण (म्यूटेशन) के अविवादित मामले को वाद के पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर और नामान्तरण के विवादित मामले को 90 दिनों की अवधि के भीतर तय करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही उक्त अवधि के भीतर संपन्न नहीं होती है, तो उसके कारणों को दर्ज किया जाएगा।"
5. उक्त प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में और पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में, प्रत्यर्थी संख्या 2, अर्थात नायब तहसीलदार-III, जनपद भदोही को निर्देश जारी किया

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जा रहा है कि वे उक्त आवेदन को लें और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, कानून के अनुसार कड़ाई से और बिना किसी अनावश्यक स्थगन के इसके गुण-दोष के आधार पर शीघ्रता से निस्तारित करें, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

6. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।
7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने परस्पर विरोधी तर्कों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

2 फरवरी, 2026

विनोद।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"